

भारत सरकार  
रेल मंत्रालय

लोक सभा  
30.07.2025 के  
अतारांकित प्रश्न सं. 1695 का उत्तर

छोटे रेलवे स्टेशनों पर जल संकट का प्रबंधन

1695. श्रीमती रचना बनर्जी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को कई छोटे रेलवे स्टेशनों पर विशेषकर गर्मियों के मौसम में होने वाले जल संकट की जानकारी है;
- (ख) यदि हां, तो रेलवे स्टेशनों पर वर्षा जल संचयन और अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण सहित कुशल जल प्रबंधन के लिए कौन-कौन सी पहलें कार्यान्वित की गई हैं/कार्यान्वित की जा रही हैं;
- (ग) सभी यात्री डिब्बों में जैव-शौचालयों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और
- (घ) रेल परिसरों में समेकित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री  
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) और (ख): भारतीय रेल रेलवे स्टेशनों पर पर्याप्त जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित खपत का मापन, जल आपूर्ति के संबंध में कमियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करना और नगर पालिकाओं, स्थानीय जल टैंकर आपूर्तिकर्ताओं और अन्य स्रोतों के साथ आवश्यकतानुसार सहयोग करती है। हाल ही में, गर्मियों के मौसम में छोटे रेलवे स्टेशनों पर अपर्याप्त पेयजल के मामले सामने आए हैं। इन स्टेशनों पर पर्याप्त जल आपूर्ति सुनिश्चित

करने के लिए नियमित रूप से जल आपूर्ति की निगरानी की गई, जिसमें पानी के टैंकों की व्यवस्था, अतिरिक्त हैंड पंपों की बोरिंग आदि शामिल हैं। भारतीय रेल ने कुशल जल प्रबंधन की पहल की है, जिसमें जल वर्षा संचयन (आरडब्ल्यूएच) प्रणाली स्थापित करना, गैर-पीने योग्य उपयोग के लिए जल पुनर्चक्रण संयंत्रों से जल को उपचारित करना और नियमित जल संबंधी लेखा परीक्षा करना शामिल है।

(ग): वर्ष 2014 से वर्ष 2025 तक, 92,232 सवारी डिब्बों में 3,33,191 जैव शौचालय मुहैया कराए गए थे, जबकि वर्ष 2004-14 तक 3647 सवारी डिब्बों में 9587 जैव शौचालय मुहैया कराए गए थे। सभी यात्री सवारी डिब्बों में जैव शौचालय की व्यवस्था की गई है।

(घ): रेलवे स्टेशनों और आसपास के क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट के निपटान सहित प्रभावी प्रबंधन प्रणाली स्थापित है। इस संबंध में उठाए गए महत्वपूर्ण पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- i. रेलगाड़ियों के अंदर एकत्रित अपशिष्ट का निपटान चिह्नित मार्गवर्ती नामित स्टेशनों पर किया जाता है।
- ii. जैवनिम्नीकरण अपशिष्ट और गैर-जैवनिम्नीकरण अपशिष्ट को स्रोत पर ही पृथक करने के लिए 725 स्थानों पर दो डिब्बों वाले कूड़ेदानों का प्रावधान किया गया है।
- iii. आवश्यकतानुसार 531 स्टेशनों पर प्लास्टिक बोतल क्रशिंग मशीनें (पीबीसीएम) स्थापित की गई हैं।
- iv. भारतीय रेल में कई स्थानों पर आवश्यकतानुसार मलजल शोधन संयंत्र (एसटीपी), अपशिष्ट शोधन संयंत्र (ईटीपी), सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा (एमआरएफ) जैसी अवसंरचनाएं स्थापित और कमीशन की गई हैं। वर्तमान में, 142 मलजल शोधन

संयंत्र, 86 अपशिष्ट शोधन संयंत्र और 203 सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा स्थापित किए गए हैं।

- v. अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित मामलों की निगरानी/संचालन हेतु क्षेत्रीय रेलों में समर्पित पर्यावरण एवं हाउसकीपिंग (ईएनएचएम) विंग स्थापित की गई हैं।
- vi. इसके अलावा, रेलवे शहरी स्थानीय निकायों के साथ भी कार्य करता है जिनकी स्टेशन क्षेत्रों के आस-पास प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

\*\*\*\*\*